न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल महोदय ग्वालियर केम्प उज्जैन के समक्ष

निगरानी 2457-II-15

प्र.क. .... / 2015 / पुनरिक्षण

गोविन्द पिता चतुर्भुजदास खण्डेलवाल
निवासी नलखेडा, हालमुकाम इन्दौर ...निगरानीकर्ता

विरूद्ध

म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर महोदय,
आगर ...निगरानीगृहिता

राजस्व निरिक्षक वृत–1 नलखेडा जिला आगर मालवा द्वारा प्रकरण कमांक 30अ–12 / 2014–15 मे दिनांक 17.05.2015 को पारित सीमांकण रिपोर्ट एवं प्रतिवेदन के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत पुनरिक्षण

महोदय,

आवेदक निम्नानुसार पुनरिक्षण आवेदन प्रस्तुत करता है :–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्यः–

1. यह कि, आवेदक ने एक आवेदन दिनांक 10.04.2015 को माननीय न्यायालय तहसीलदार महोदय नलखेडा जिला आगर को प्रार्थी की आवासीय भूमि सर्वे न. 219 / 4 रकबा 0.187 हेक्टर का सीमांकन का आवेदन प्रस्तुत किया था ।

2. यह कि, आवेदक को राजस्व निरिक्षक महोदय वृत–1 नलखेडा द्वारा सीमांकन का सूचना पत्र दिनांक 22.04.2015 को करने हेतु प्राप्त हुआ था।

3. यह कि, आवेदक दिनांक 22.04.2015 को अपनी भूमि सर्वे न. 219 / 4 पटवारी हल्का न. 16 नलखेडा जिला शाजापुर पर उपस्थित हुआ

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

प्रकरण कमांक निगरानी 2457–दो/2015 जिला आगर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
19–11–2015	आवेदक अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। 2/ आवेदक अभिभाषक ने तर्क में बताया कि आवेदक ने तहसीलदार नलखेडा जिला आगर को भूमि सर्वे कमांक 219/4 रकबा 0.187 के सीमांकन हेतु आवेदन दिया था परन्तु आवेदक की उपस्थिति में सीमांकन की कार्यवाही नहीं की गई। तर्क में यह भी कहा कि राजस्व निरीक्षक के प्रतिवेदन एवं स्थल पंचनामे में अंतर है। 3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण में उपलब्ध सत्यापित दस्तावेजों का अवलोकन किया। आवेदक अभिभाषक का यह तर्क मान्य नहीं किया जा सकता कि आवेदक को सीमांकन की जानकारी नहीं थी क्योंकि आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत आवेदन पर अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के पालन में तहसील न्यायालय में राजस्व निरीक्षक द्वारा सीमांकन की कार्यवाही की गई और आवेदक की भूमि सहित आस पास की भूमि की भी माप की गई। राजस्व निरीक्षक ने सीमांकन के समय सर्वे नम्बर 219 का रकबा वर्ष 1925 से 1.129 हे0 के स्थान कम रकबा 0.906 हे0 अर्थात 0.223 हे0 कम पाया। जहां तक आवेदक अभिभाषक के राजस्व निरीक्षक प्रतिवेदन एवं स्थल पंचनामे में अंतर का प्रश्न है आवेदक को तहसीलदार के समक्ष उक्त	

सीमांकन प्रतिवेदन एवं पंचनामे के अंतर को दुरूस्त करने के संबंध में विधिवत आवेदन/आपत्ति प्रस्तुत करना चाहिए थी, परन्तु आवेदक द्वारा ऐसा न कर इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की गई है। आवेदक चाहे तो तहसीलदार के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर सकता है और यदि तहसीलदार के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया जाता है तो तहसीलदार विधिवत सुनवाई का अवसर देकर उक्त आवेदन के निराकरण करने निर्देश दिये जाते हैं। ऐसी स्थिति में निगरानी ग्राह्य करने का कोई आधार प्रकट नहीं होता है।

4/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी आधारहीन होने से निरस्त की जाती है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

(डॉ0 मधु खरे)
सदस्य